

सूचना की क्रम संख्या
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की कार्यवाही के बारे में
टिप्पणी तारीख के साथ
3

न्यायालय अपर समाहर्ता, खगड़िया।

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं०-०२/२०१२

- 1. राज किशोर राय पि०-स्व० चन्द्रदेव राय
 - 2. अवध राय पि०-स्व० चन्द्रदेव राय
- सभी ग्राम कटघरा, थाना-गोगरी,
जिला-खगड़िया
- } - पुनरीक्षणकर्तागण

वनाम

- 1. मनोज कुमार राय पि०-स्व० उपेन्द्र प्र० राय
 - 2. गोपाल शरण राय पि०-स्व० तारणी प्र० राय
 - 3. कामेश्वर राय पि०-स्व० आदित्य राय
- सभी ग्राम फुदकीचक, थाना-गोगरी,
जिला-खगड़िया
- } - विपक्षीगण

-आदेश-

पुनरीक्षणकर्ता राज किशोर राय वगैरह ने मनोज कुमार वगैरह को विपक्षी बनाते हुए विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं० १७/१०-११ में पारित आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण वाद लाया है।

पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी अर्जी में विवादित भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार बताया है :-

मौजा	थाना	तौजी	खाता	खेसरा	रकबा
					वि० क० धूर
कटघरा	325	1898	227	1000	} 05 - 06 - 19
				1001	
				1002	

तथा कहा है कि विवादित भूमि का उन्होंने केवाला सं० २१३७, दिनांक १५.०४.१० द्वारा राजीव कुंवर पिता-स्व० कैलाश कुंवर से खरीदकर उस पर दखलकार है। उन्होंने उपरोक्त केवाला में खाता खेसरा और चौहद्दी में गलती हो जाने के कारण पुनः केवाला कराकर उसमें शुद्धि करवाया है तथा उक्त भूमि का नामान्तरण भी अपने पक्ष में विधिवत करवा लिया है। अंचल पदाधिकारी, गोगरी ने उनका दखल कब्जा पाकर विधिवत उनके पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया है। विपक्षीगण का कोई भी कागजात उक्त जमीन के दावा के समर्थन में नहीं है तथा उनका दावा निराधार है। फिर भी

21.7.12

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की टिप्पणी तारीख
1	2	3
	<p>विपक्षीगण ने विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी के न्यायालय में अंचल पदाधिकारी, गोगरी के नामान्तरण वाद सं० 1569/10-11 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद दायर कर दिया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी ने यद्यपि पुनरीक्षणकर्तागण के दावे को सही माना परन्तु स्वत्व वाद सं० 103/09 का हवाला देते हुए अपीलवाद स्वीकृत कर दिया। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी ने सबजज द्वारा पारित आदेश पर ध्यान नहीं दिया जबकि सभी तथ्य इनके पक्ष में था।</p> <p>उन्होंने आगे यह भी कहा है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता ने अवैधानिक तरीके से बिना गहन विचार किए यांत्रिक तरीके से तथा माननीय सबजज द्वारा पारित अन्तरिम आदेश का विश्लेषण किए बिना ही अपीलवाद को स्वीकृत कर दिया है तथा अंचल अधिकारी द्वारा पारित नामान्तरण आदेश को रद्द कर दिया है जबकि विपक्षीगण को जमाबंदी रैयत के अधिकार पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। उन्होंने इस विन्दु पर विल्कुल ही विचार नहीं किया कि विपक्षीगण के पूर्वज के नाम कोई जमाबंदी कायम नहीं है जबकि पुनरीक्षणकर्तागण के विक्रेता के नाम से जमाबंदी बहुत पूर्व से चली आ रही है।</p> <p>पुनरीक्षणकर्तागण ने एक लिखित बहस दाखिल करते हुए कहा है कि स्वत्व वाद सं० 103/09 में माननीय सबजज द्वारा दिनांक 08.11.11 को आदेश पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि विपक्षी (स्वत्व वाद में वादी) द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि विवादित सम्पत्ति किनके नाम दर्ज है, किस माध्यम से उनके पूर्वज को प्राप्त है आदि। वादी (विपक्षीगण) का विवादित सम्पत्ति पर प्रथमदृष्टया कोई वाद नहीं बनने का मंतव्य किया गया है। परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी द्वारा इन मंतव्यो पर ध्यान नहीं दिया गया। पुनरीक्षणकर्तागण का यह भी कहना है कि विपक्षीगण द्वारा माननीय सबजज द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध अपील भी दायर नहीं किया गया है।</p> <p>विपक्षीगण ने आपत्ति आवेदन पत्र दाखिल करते हुए कहा है कि अंचल पदाधिकारी, गोगरी ने गलत ढंग से हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के गलत प्रतिवेदन पर नामान्तरण आदेश पारित कर दिया है। उनका कहना है कि विवादित भूमि पर व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के आधार पर उनके पूर्वज दखलकार हुए। जमाबंदी रैयत को इस भूमि से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि उसका कोई स्वत्व उनके पास नहीं है। उनका कहना है कि पुनरीक्षणकर्तागण केवल विवाद खड़ा करने के लिए झूठा एवं बिना</p>	

मूल्य भुगतान किए ही केवाला कर लिया है। उन्होंने स्वत्व वाद सं० 103/09 का हवाला देते हुए कहा है कि यह वाद अभी विचाराधीन है और इसमें सभी पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी को कोई आदेश नामान्तरण का पारित नहीं करना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा है कि माननीय सबजज का अंतरिम इन्जक्शन आदेश के विरुद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उनका यह भी कहना है कि जमाबंदी रैयत के संबंध में श्री ब्रजनंदन सिंह जो स्वत्व वाद सं० 103/09 में प्रतिवादी सं० 8 है ने अपने लिखित ब्यान में कहा है कि उक्त जमाबंदी जाली है तथा तथाकथित जमाबंदी रैयत प्रश्नगत जमीन के दखल में कभी नहीं रहे।

विपक्षीगण का यह भी कहना है कि पुनरीक्षणकर्तागण ने एक झूठा अपराधिक मामला भी दर्ज किया था जिसका पर्यवेक्षण पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा किया गया था, जिसमें यह पाया गया था कि विवादित जमीन पर दखल विपक्षीगण का है जो उनके पूर्वज के समय से चला आ रहा है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजात का भी अवलोकन किया। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी का नामान्तरण अपील वाद सं० 17/10-11 में पारित आदेश का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने प्रश्नगत भूमि से संबंधित अंचल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 1569/10-11 में पुनरीक्षणकर्तागण के पक्ष में पारित नामान्तरण आदेश को खारिज इस आधार पर किया है कि प्रश्नगत जमीन से संबंधित एक स्वत्व वाद सं० 103/09 माननीय सबजज प्रथम, खगड़िया के न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि स्वत्व वाद का उल्लेख जब अंचल पदाधिकारी, गोगरी के अभिलेख में था तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें दाखिल खारिज नहीं करना चाहिए था जो बिल्कुल ही वरीय न्यायालय का उल्लंघन है।

इस प्रकार विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी द्वारा अंचल पदाधिकारी, गोगरी के दाखिल खारिज वाद सं० 1569/10-11 में पारित आदेश को निरस्त कर देने का आदेश में प्रक्रियात्मक तथा वैधिक भूल परिलक्षित नहीं होता है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 6 की उपधारा 12 में

